2/23

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कनवास जिला कोटा

प्रकरण संख्या :– 4/22 निर्णय दिनांक 01/02/2023 ~~24.01.2022~~

बउनवान

1 जानकीलाल पुत्र नाथूलाल सैन हरिपुरामाजी तहसील कनवास जिला कोटा।

प्रार्थी

बनाम

1 बद्रीलाल आत्मज श्री हीरालाल जाति भोपा निवासी सीमलिया हाल मुकाम बालाजी की पुलिया तहसील कनवास।

अप्रार्थीगण

उपस्थितः–
प्राथी की ओर से स्वय
प्रार्थी की ओर से स्वयं।

वाद अन्तर्गत धारा 251 (क) रा०टी०एक्ट

प्रार्थी के द्वारा प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थी जानकीलाल पुत्र नाथूलाल सेन निवासी हरिपुरा माझी तहसील कनवास के खाते में माल ग्राम चडावद पटवार हल्का हरिपुरा माझी तहसील कनवास में खसरा न 162/344 की 0.17 है खसरा न 267 की 0.14 है0 294 की 0.40 है0 खसरा न 35 की रकबा 0.75 है कुल किता 4 की 1.46 है भूमि स्थित है खसरा न 294 की भूमियों पर सदैव से आने जाने का रास्ता अप्रार्थी के खाते के खेत खसरा न 294 की रकबा 0.97 है मे से होकर रहा है जिसे अप्रार्थी द्वारा रोक दिया गया है।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 क आरटीएक्ट के तहत दर्ज रजिस्टर किया गया अप्रार्थी को न्यायालय में तलब किया गया अप्रार्थी द्वारा एक लिखित तहरीर एव राजीनामा सहमति दी गई कि बद्रीलाल, रामस्वरूप, प्रेमबाई, कन्याबाई पुत्रान हिरा जाति भोपा निवासी काठोन द्वारा सहमति पत्र तेयार कर न्यायालय में पेश किया गया जिसमें अप्रार्थीगण द्वारा अपने खेत खसरा न 294 की उत्तरी मेड में 20 फुट चौडा रास्ता प्रार्थी के खेत खसरा न0 295 की लम्बाई तक देने हेतु सहमति दी गई जिसकी मुआवजा राशि अप्रार्थीगण को 50000 रूप्ये प्रार्थी ने अदा कर दिये है सहमति पत्र शामिल पत्रावली किया गया पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र बाबत राजीनामा स्वीकार किया जाना न्यायोचित है।

आदेश

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर आदेश दिये जाते है कि ग्राम चडावद पटवार हल्का हरिपुरा माझी तहसील कनवास में प्रार्थी के खाते दर्ज खसरा न0 294 की रकबा 0.40 है0 में आने जाने एवं कृषि उपकरण, फसल आदि लाने ले जाने के लिए अप्रार्थीगण के खाते में दर्ज खसरा न0 295 की आराजी में से उत्तरी मेड से 20 फुट चौडाई एवं प्रार्थी के खेत की लम्बाई तक का रास्ता राजस्व रेकार्ड में गै0 मु0 रास्ते के रूप में दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है उक्त रास्ते की भूमि का क्षेत्रफल अप्रार्थी हिरालाल की आराजी खसरा न0 295 से कम किये जाने के आदेश दिये जाते है।

उपखण्ड अधिकारी कनवास
राजेश [illegible] (आर०ए०एस)

उपखण्ड अधि... कनवास जिला कोटा

Scanned with ACE Scanner